ont>

Title: Need to review the decision to impose service tax on trans-shipment service, particularly in Gujarat- Laid.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : उपाध्यक्ष महोदय, देश का सर्वाधिक 1600 कि0मी0 लम्बा समुद्री किनारा सिर्फ गुजरात का ही है। प्रदेश में मध्यम श्रेणी के बंदरगाहों का विकास ही राज्य की अन्य औद्योगिक विकास योजनाओं को प्रभावित करता है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राट्रीय एवं अन्तर्राट्रीय आय के साथ साथ व्यापार क्षेत्र में भी बहुत मदद मिलती है। यहां उल्लेखनीय बात यह है कि केन्द्रीय नीति के अनुरूप राज्य सरकार ने निजी बंदरगाहों को भी ि वकसित किया है।

मध्यम श्रेणी के बंदरगाहों द्वारा दी जा रही बंदरगाही सेवाओं पर 8 प्रतिशत सर्विस टैक्स वसूलने के संदर्भ में एक वित्त विधेयक-2003, लोक सभा में स्वीकृति हेतु ि वचाराधीन है। मेरा मानना है कि इस समय 8 प्रतिशत टैक्स बढ़ाने का यह विधेयक बंदरगाहों द्वारा समुद्री व्यवसाय विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे अथक प्रयासों को हतोत्साहित करेगा। इस विधेयक के पारित होने से बंदरगाह उपभोक्ताओं के उत्साह में गिरावट आयेगी क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़े उद्यमी वैसे भी वर्तमान में आर्थिक विकास की जटिल प्रतिस्पर्धा एवं व्यापारिक क्षेत्र में पनप रही मंदी जैसी कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं साथ साथ राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताि वत मध्यम श्रेणी की योजनाओं के विकास की मूलभूत संभावनाओं को भी दुप्रभावित करेगा।

मेरी माननीय वित्त मंत्री से मांग है कि मायनोर पोर्ट में प्रदत्त बंदरगाहीय सेवाओं पर 8 प्रतिशत सेवा शुल्क लगाने की नीयत से प्रस्तावित वित्त विधेयक-2003 को स्वीकृत नहीं किये जाने की दिशा में पुनर्विचार किया जाये ताकि प्रदेश के बंदरगाह एवं उससे जुड़े अन्य उद्योगों को संवारने में राज्य सरकार को सफलता मिल सके।